

**\*जनपद-संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 15.08.2024\***

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 149 वाहनों से 1,81,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***

आज दिनांक 15.08.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 149 वाहनों से 1,81,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

**\*जनपद-संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 15.08.2024\***

**\*थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा युवती से दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार\***

जनपद में **\*मिशन शक्ति अभियान\*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **\*श्री अजीत चौहान\*** के निकट पर्यवेक्षण में **प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद \*श्री सतीश कुमार सिंह\*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 509/2024 धारा 376(2)(n) / 506 / 406 भा0द0वि0 व 3(1)द,ध 3(2)(v)(2va) SC/ST Act के मामले मे वाँछित अभियुक्त नाम पता रोहित पाण्डेय पुत्र तिलोचदेव पाण्डेय निवासी टेडे थाना घोरावल जनपद सोनभद्र को मंझरिया रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी साथ ही जातिसूचक शब्दों को प्रयोग करते हुए मारपीट आदि की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 15.08.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

**\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-\*** उ0नि0 श्री राजीव सिंह, कां0 अरुण, कां0 अजीत कुशवाहा ।

**\*जनपद-संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 15.08.2024\***

**\*थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सुशील कुमार सिंह\*** के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **\*श्री अजीत चौहान\*** के नेतृत्व में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु थाना प्रभारी कोतवाली खलीलाबाद **\*श्री सतीश कुमार सिंह\*** द्वारा गठित टीम द्वारा कबीर चौरा मगहर के पास से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त नाम पता विशाल सोनी पुत्र प्रदीप कुमार निवासी पाकरडाँड थाना लालगंज जिला बस्ती को गिरफ्तार करते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 625/2024 धारा 317(2) BNS कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण\*-**

विशाल सोनी पुत्र प्रदीप कुमार निवासी पाकरडाँड थाना लालगंज जिला बस्ती ।

**\*बरामदगी का विवरण\*-** एक अदद मोटर साइकिल (UP43AZ4319) ।

**पूछताछ-विवरण:-** पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 08.08.2024 को कटरा लकड़मण्डी थाना नबाबगंज जिला गोण्डा से बरामद मोटर साइकिल UP43AZ4319 को चोरी किया था जिससे बेचने के लिए ले जा रहे थे कि पकड़े गये।

**\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण -\*** उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, का0 राहुल प्रसाद, का0 रमेश यादव ।

\*जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 15.08.2024\*

**\*थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार\***

जनपद में \*मिशन शक्ति अभियान\* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद \*श्री अजीत सिंह\* के निकट पर्यवेक्षण में \*थाना महुली पुलिस द्वारा\* मु0अ0स0 310/2024 धारा 376/506 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त रवि सिंह पुत्र बेनी सिंह निवासी अलीनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को नाथनगर तिहारा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी को धमकाकर दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 15.08.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-\* प्रभारी निरीक्षक श्री रामकृष्ण मिश्र, हे0का0 ज्ञानचन्द्र यादव।